

मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों की समझ: परंपरागत और आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में

शगुफ्ता परवीन

पीएच.डी. रिसर्च स्कॉलर, समाजशास्त्र और समाज कार्य विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तराखंड

सारांश

मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का स्वरूप समय के साथ परंपरागत धार्मिक शिक्षण से आगे बढ़कर विद्यालयी, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा तक विस्तृत हुआ है। परंपरागत शिक्षा धार्मिक ज्ञान, नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक पहचान और पारिवारिक दायित्वों की समझ विकसित करती है, जबकि आधुनिक शिक्षा सामाजिक, नागरिक, प्रशासनिक और विधिक क्षेत्रों से परिचय कराती है। दोनों शिक्षा-पद्धतियों की उपयोगिता उनकी विषयवस्तु के साथ-साथ शिक्षा की निरंतरता, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सहयोग और सामाजिक अवसरों से भी प्रभावित होती है। मुस्लिम महिलाएँ भारतीय नागरिक के रूप में समानता, स्वतंत्रता, गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता तथा शिक्षा के अवसरों में समानता सहित विभिन्न संवैधानिक अधिकारों और संरक्षणों की अधिकारी हैं। विवाह, मेहर, भरण-पोषण, विवाह-विच्छेद और बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित कानूनी अधिकार भी उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन से सीधे जुड़े हैं। शिक्षा अधिकार-चेतना को सूचना तक पहुँच, तर्क क्षमता, सामाजिक अनुभव और निर्णय क्षमता के माध्यम से प्रभावित करती है। परंपरागत शिक्षा धार्मिक एवं पारिवारिक अधिकार-बोध का आधार प्रदान कर सकती है, जबकि आधुनिक शिक्षा संवैधानिक और नागरिक समझ का विस्तार करती है। व्यापक अधिकार-चेतना के लिए दोनों के उपयोगी पक्षों का समन्वय आवश्यक है, ताकि महिलाएँ अपने अधिकारों को समझकर उन्हें व्यावहारिक जीवन में प्रभावी रूप से उपयोग कर सकें।

मुख्य शब्द- मुस्लिम महिलाएँ, परंपरागत शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, संवैधानिक अधिकार, अधिकार-चेतना, सामाजिक परिवर्तन।

प्रस्तावना

शिक्षा व्यक्ति के जीवन में केवल ज्ञान अर्जित करने का साधन नहीं है, बल्कि यह उसकी सोच, सामाजिक व्यवहार, निर्णय क्षमता और अपने परिवेश को समझने की योग्यता को भी विकसित करती है। महिलाओं के संदर्भ में शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह उनके आत्मविश्वास, सामाजिक भागीदारी, आर्थिक अवसरों और पारिवारिक निर्णयों में भूमिका को प्रभावित करती है। इसी कारण किसी भी समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को वहाँ हो रहे सामाजिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में देखा जा सकता है। मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का स्वरूप लंबे समय तक परिवार, मकतब, मदरसा और धार्मिक शिक्षण परंपराओं से जुड़ा रहा है। इन माध्यमों ने धार्मिक ज्ञान, नैतिक आचरण, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय के साथ विद्यालयी, महाविद्यालयी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के अवसर बढ़े, जिससे मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक अनुभव का दायरा भी विस्तृत हुआ। आज अनेक महिलाएँ धार्मिक और आधुनिक दोनों प्रकार की शिक्षा से जुड़ रही हैं। इससे शिक्षा के उद्देश्य और उपयोग में भी परिवर्तन दिखाई देता है, क्योंकि शिक्षा अब केवल धार्मिक या पारिवारिक

ज्ञान तक सीमित न रहकर सामाजिक जीवन, रोजगार, सार्वजनिक संस्थाओं और नागरिक भूमिकाओं से भी जुड़ती जा रही है।

शिक्षा और अधिकारों की समझ के बीच संबंध इसी बदलते शैक्षिक परिवेश में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी महिला को अधिकार तभी वास्तविक अर्थ में उपयोगी हो सकते हैं, जब वह उनके स्वरूप, महत्त्व और उपलब्ध संरक्षण के बारे में जानती हो। समानता, स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन, धार्मिक स्वतंत्रता, भेदभाव से संरक्षण तथा शिक्षा के अवसरों में समानता से जुड़े संवैधानिक प्रावधान उसके नागरिक जीवन के महत्वपूर्ण आधार हैं। इसके अतिरिक्त विवाह, भरण-पोषण, तलाक और पारिवारिक जीवन से जुड़े कानूनी अधिकार भी उसकी सामाजिक सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। इसलिए अधिकारों की समझ को केवल कानून की जानकारी के रूप में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, निर्णय क्षमता और सामाजिक भागीदारी से जुड़ी चेतना के रूप में देखना अधिक उचित है। परंपरागत और आधुनिक शिक्षा इस चेतना के निर्माण में अलग-अलग प्रकार से योगदान कर सकती हैं। अधिकार-जागरूकता को केवल शिक्षा के प्रकार से निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिवार, आर्थिक स्थिति, सामाजिक संपर्क, सूचना के साधन और जीवन-अनुभव भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अध्ययन में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों की समझ के बीच संबंध को परंपरागत और आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. मुस्लिम महिलाओं पर परंपरागत और आधुनिक शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. परंपरागत और आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में मुस्लिम महिलाओं की संवैधानिक एवं आवश्यक कानूनी अधिकारों संबंधी समझ का विश्लेषण करना।
3. शिक्षा के स्वरूप, सामाजिक परिवेश और अधिकार-चेतना के बीच संबंध को स्पष्ट करना।
4. यह समझना कि परंपरागत और आधुनिक शिक्षा के कौन-से पक्ष मुस्लिम महिलाओं की व्यापक सामाजिक और नागरिक जागरूकता के विकास में सहायक हो सकते हैं।

अध्ययन की पद्धति

प्रस्तुत शोध-पत्र वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक प्रकृति का है। इसका आधार मुख्यतः द्वितीयक स्रोत हैं। अध्ययन के लिए मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा, मदरसा एवं विद्यालयी शिक्षा, महिला अधिकार, संवैधानिक प्रावधान, मुस्लिम वैयक्तिक विधि और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित शोध-पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, विधिक दस्तावेजों तथा मान्य शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित उपलब्ध स्रोतों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में उपलब्ध स्रोतों को प्रमुख विषयगत श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है- मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति, परंपरागत और आधुनिक शिक्षा का स्वरूप, संवैधानिक एवं आवश्यक कानूनी अधिकार, तथा शिक्षा और अधिकार-चेतना के बीच संबंध। इन श्रेणियों के आधार पर विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्षों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है, इसलिए किसी विशेष क्षेत्र की मुस्लिम महिलाओं के अधिकार-बोध का स्वतंत्र मापन इसमें प्रस्तुत नहीं किया गया है। विभिन्न अध्ययनों के नमूने, क्षेत्र और उद्देश्य अलग-अलग होने के कारण उनके निष्कर्षों को व्यापक सामाजिक प्रवृत्तियों के संकेत के रूप में ग्रहण किया गया है।

साहित्य समीक्षा

मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर उपलब्ध अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि शैक्षिक पिछड़ापन किसी एक कारण का परिणाम नहीं है। आर्थिक स्थिति, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक मान्यताएँ, संस्थागत पहुँच और शिक्षा की निरंतरता जैसे कारक मिलकर महिला की शैक्षिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। मुमताज, ठाकुर एवं गजपाल ने नगरीय मुस्लिम महिलाओं के अध्ययन में शिक्षा के प्रसार के बावजूद उच्च शिक्षा तक सीमित पहुँच, आर्थिक कठिनाइयों और परंपरागत सामाजिक दृष्टियों को महत्वपूर्ण पाया (मुमताज, ठाकुर एवं गजपाल, 2017, पृ. 76-80)। इससे यह संकेत मिलता है कि महिला शिक्षा को केवल विद्यालय में प्रवेश तक सीमित करके नहीं, बल्कि शिक्षा के स्तर और निरंतरता के आधार पर समझना चाहिए।

परंपरागत और आधुनिक शिक्षा के संबंध में विद्यालय तथा मदरसा दो अलग शैक्षिक वातावरण प्रस्तुत करते हैं, किंतु व्यवहार में दोनों के बीच स्पष्ट विभाजन हमेशा संभव नहीं होता। सिंह एवं बहादुर के अध्ययन से यह सामने आता है कि मुस्लिम परिवार आधुनिक विद्यालयी शिक्षा की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए धार्मिक शिक्षा को भी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के लिए आवश्यक मानते हैं (सिंह एवं बहादुर, 2022, पृ. 99-113)। यह तथ्य इस अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे शिक्षा की तुलना को परंपरा बनाम आधुनिकता के सरल विरोध के बजाय दो अलग प्रकार की शैक्षिक आवश्यकताओं के रूप में देखने का आधार मिलता है।

मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा में आर्थिक और संरचनात्मक बाधाओं का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। खान ने आर्थिक असमानता, पारिवारिक परिस्थितियों, विद्यालय तक पहुँच और सामाजिक वातावरण को शिक्षा की निरंतरता से जोड़ा है (खान, 2022, पृ. 48-67)। सच्चर समिति ने भी मुस्लिम महिलाओं की कम शैक्षिक भागीदारी को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से समझने के बजाय गरीबी, दूरी, सुरक्षा और संस्थागत अवसरों जैसे कारकों से जोड़कर देखा है (भारत सरकार, 2006, पृ. 19-20)।

असमा हुसैन (2014) ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता को इस्लामी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। अध्ययन में महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों पर चर्चा करते हुए धार्मिक सिद्धांतों में अधिकारों की मान्यता और सामाजिक व्यवहार में उनकी वास्तविक स्थिति के बीच अंतर की ओर संकेत किया गया है।

अधिकारों के संदर्भ में उपलब्ध साहित्य प्रायः वैयक्तिक विधि, विवाह, तलाक, भरण-पोषण और संवैधानिक समानता पर केंद्रित है। श्रीवास्तव ने मुस्लिम महिलाओं के वैयक्तिक अधिकारों को संवैधानिक समानता और स्वतंत्रता के व्यापक ढाँचे में समझने की आवश्यकता पर बल दिया है (श्रीवास्तव, 2021, पृ. 99-105)। उपलब्ध अध्ययनों की प्रमुख सीमा यह है कि शिक्षा के स्वरूप और संवैधानिक अधिकारों की समझ को एक संयुक्त विश्लेषणात्मक प्रश्न के रूप में अपेक्षाकृत कम देखा गया है। प्रस्तुत अध्ययन इसी संबंध को केंद्र में रखता है।

मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का बदलता स्वरूप

मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा को केवल साक्षरता या औपचारिक शैक्षिक योग्यता के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है। शिक्षा का वास्तविक प्रभाव इस बात से निर्धारित होता है कि वह महिला के विचार, सामाजिक संपर्क, निर्णय क्षमता और उपलब्ध अवसरों को किस सीमा तक विस्तृत करती है। लंबे समय तक मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का एक बड़ा भाग परिवार, मकतब और मदरसे जैसी परंपरागत संस्थाओं से जुड़ा रहा, जहाँ धार्मिक ज्ञान, नैतिक आचरण और

सांस्कृतिक मूल्यों को प्राथमिकता प्राप्त थी। यह व्यवस्था केवल धार्मिक शिक्षा का माध्यम नहीं थी, बल्कि सामाजिक पहचान और पारिवारिक संस्कारों के निर्माण में भी भूमिका निभाती रही।

समय के साथ मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक अनुभव में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। विद्यालय, महाविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों तक पहुँच ने उनके सामने ऐसे ज्ञान-क्षेत्र खोले हैं जो परिवार और धार्मिक संस्थाओं की सीमाओं से आगे जाते हैं। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विज्ञान, नागरिक जीवन, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रशासन और व्यापक सार्वजनिक संस्थाओं से परिचय संभव होता है। फिर भी इस परिवर्तन को परंपरागत शिक्षा के स्थान पर आधुनिक शिक्षा के पूर्ण प्रतिस्थापन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अनेक मुस्लिम परिवारों में धार्मिक शिक्षा और औपचारिक विद्यालयी शिक्षा दोनों को महत्व दिया जाता है। विद्यालयी और मदरसा शिक्षा पर किए गए अध्ययन भी इस दोहरी शैक्षिक अपेक्षा को रेखांकित करते हैं।

यह परिवर्तन सभी महिलाओं के लिए एक समान नहीं है। शिक्षा की दिशा और स्तर पर आर्थिक स्थिति, परिवार की सोच, आसपास उपलब्ध शिक्षण संस्थाएँ और सामाजिक वातावरण प्रभाव डालते हैं। नगरीय मुस्लिम महिलाओं के एक अध्ययन में उच्च शिक्षा तक सीमित पहुँच के साथ आर्थिक स्थिति और पारंपरिक सामाजिक दृष्टियों का प्रभाव पाया गया; इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के बदलते स्वरूप को केवल संस्थानों की उपलब्धता से नहीं समझा जा सकता; वास्तविक प्रश्न यह भी है कि महिला कितने समय तक शिक्षा से जुड़ी रहती है और प्राप्त शिक्षा उसके जीवन में कितनी उपयोगी बनती है। मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा में हो रहा परिवर्तन इसलिए सामाजिक परिवर्तन से भी जुड़ा है, जब शिक्षा धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान से आगे बढ़कर सामाजिक, आर्थिक और नागरिक जीवन की समझ तक पहुँचती है, तब महिला की भूमिका भी विस्तृत होती है। वह केवल परिवार और समुदाय के भीतर निर्धारित भूमिकाओं तक सीमित न रहकर शिक्षा, रोजगार, सार्वजनिक संवाद और व्यक्तिगत निर्णय के नए क्षेत्रों से जुड़ सकती है। इस प्रकार शिक्षा का बदलता स्वरूप मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के साथ-साथ उनके अधिकार-बोध के विकास की भी आधारभूमि तैयार करता है।

परंपरागत और आधुनिक शिक्षा: भूमिका, संभावनाएँ और सीमाएँ

परंपरागत और आधुनिक शिक्षा मुस्लिम महिलाओं के जीवन में अलग-अलग प्रकार की समझ विकसित करती हैं। परंपरागत शिक्षा का मुख्य आधार धार्मिक ज्ञान, नैतिक अनुशासन, पारिवारिक मूल्य और सांस्कृतिक पहचान है। इसके माध्यम से महिला अपने समुदाय की मान्यताओं, धार्मिक आचरण और पारिवारिक दायित्वों से परिचित होती है। इस शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह व्यक्ति को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है और सामाजिक व्यवहार के लिए एक नैतिक आधार प्रदान करती है। इसलिए इसे केवल पुरानी या अप्रासंगिक शिक्षा मानना उचित नहीं है। इसके विपरीत आधुनिक शिक्षा का दायरा अधिक व्यापक सामाजिक और व्यावहारिक ज्ञान तक फैला होता है। विद्यालयी और उच्च शिक्षा के माध्यम से महिला भाषा, विज्ञान, समाज, नागरिकता, प्रशासन, रोजगार और सार्वजनिक संस्थाओं से परिचित होती है। इससे उसके लिए सामाजिक संपर्क और सूचना के स्रोतों का विस्तार संभव होता है। विद्यालयी शिक्षा को संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक विविधता और व्यापक नागरिक जीवन से जोड़ने की प्रवृत्ति भी देखी गई है (सिंह एवं बहादुर, 2022, पृ. 99-113)। इस दृष्टि से आधुनिक शिक्षा महिला को केवल रोजगार के अवसरों से नहीं, बल्कि समाज को समझने की व्यापक क्षमता से भी जोड़ सकती है।

फिर भी दोनों शिक्षा-पद्धतियों की अपनी सीमाएँ हैं। यदि परंपरागत शिक्षा की विषयवस्तु धार्मिक अध्ययन तक सीमित रह जाए और उसमें समकालीन सामाजिक, विधिक, वैज्ञानिक तथा आर्थिक ज्ञान का पर्याप्त समावेश न हो, तो महिला

का परिचय व्यापक नागरिक जीवन से सीमित हो सकता है। दूसरी ओर आधुनिक शिक्षा भी तभी सार्थक होती है जब वह केवल परीक्षा और प्रमाणपत्र तक सीमित न रहे। यदि शिक्षण प्रक्रिया प्रश्न, तर्क, संवाद और जीवन से जुड़े अनुभव विकसित नहीं करती, तो औपचारिक शिक्षा प्राप्त महिला भी अपने अधिकारों और उपलब्ध संस्थागत साधनों की गहरी समझ से वंचित रह सकती है।

शिक्षा की उपयोगिता पर परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर किए गए अध्ययनों में आर्थिक कमजोरी, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और उच्च शिक्षा तक सीमित पहुँच को महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में पहचाना गया है (मुमताज, ठाकुर एवं गजपाल, 2017, पृ. 76-80)। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी शिक्षा-पद्धति की क्षमता केवल उसके पाठ्यक्रम से निर्धारित नहीं होती, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि महिला उस शिक्षा तक कितनी निरंतर पहुँच बना पाती है। इसलिए परंपरागत और आधुनिक शिक्षा को परस्पर विरोधी विकल्पों के रूप में देखने के बजाय परस्पर पूरक रूप में समझना अधिक उपयोगी है। दोनों के उपयोगी पक्षों का संतुलन ऐसी शैक्षिक स्थिति तैयार कर सकता है जिसमें मुस्लिम महिला अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए व्यापक सामाजिक अवसरों और अधिकारों को भी बेहतर ढंग से समझ सके।

मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक और आवश्यक कानूनी अधिकार

मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को समझने के लिए सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वे भारतीय नागरिक के रूप में संविधान द्वारा प्रदत्त सभी मूल अधिकारों की समान रूप से अधिकारी हैं। इसलिए उनके अधिकारों की चर्चा केवल धार्मिक या वैयक्तिक विधि के दायरे में सीमित नहीं की जा सकती। समानता, स्वतंत्रता, गरिमा, शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक प्रावधान उनके नागरिक जीवन का आधार बनते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 15 धर्म और लिंग सहित विभिन्न आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है तथा अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है (भारत सरकार, 2024, अनुच्छेद 14, 15, 21 एवं 25)।

इन अधिकारों का महत्व केवल विधिक संरक्षण तक सीमित नहीं है। समानता की समझ महिला को यह पहचानने में सहायता करती है कि परिवार, समाज या सार्वजनिक जीवन में उसके साथ होने वाला प्रत्येक असमान व्यवहार स्वाभाविक या अपरिवर्तनीय नहीं है। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार उसके निर्णय, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा है। शिक्षा तथा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान यह दर्शाते हैं कि धार्मिक पहचान और आधुनिक शिक्षा परस्पर विरोधी नहीं हैं। अनुच्छेद 21क छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों को संरक्षण प्रदान करते हैं (भारत सरकार, 2024, अनुच्छेद 21क, 29 एवं 30)।

मुस्लिम महिलाओं के दैनिक जीवन में कुछ कानूनी अधिकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। विवाह में सहमति, मेहर, भरण-पोषण, विवाह-विच्छेद और बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित प्रश्न सीधे उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। इन विषयों को केवल परंपरागत जानकारी के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वैयक्तिक विधि के साथ न्यायिक निर्णय और विधायी परिवर्तन भी लागू होते हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर किए गए विधिक अध्ययनों में भी वैयक्तिक विधि को संवैधानिक समानता और स्वतंत्रता के व्यापक ढाँचे के भीतर समझने की आवश्यकता पर बल दिया गया है (श्रीवास्तव, 2021, पृ. 99-105)।

मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2019 ने तत्काल तीन तलाक की घोषणा को शून्य और अवैध माना तथा निर्वाह भत्ते और नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित प्रावधान किए (भारत सरकार, 2019, धारा 3-6)। इस प्रकार किसी महिला के लिए केवल धार्मिक प्रथाओं की जानकारी पर्याप्त नहीं है; उसे यह भी समझना आवश्यक है कि वर्तमान कानून उसके पक्ष में कौन-से संरक्षण उपलब्ध कराता है। यहीं शिक्षा की वास्तविक भूमिका सामने आती है। अधिकारों की जानकारी तभी प्रभावी बनती है जब महिला उन्हें पहचान सके, उनके अर्थ को समझ सके और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित संस्थाओं तक पहुँच बना सके। इसलिए संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की समझ को केवल विधिक ज्ञान नहीं, बल्कि सामाजिक आत्मविश्वास और नागरिक क्षमता के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

शिक्षा और संवैधानिक अधिकार-चेतना का अंतर्संबंध

शिक्षा और संवैधानिक अधिकार-चेतना के बीच संबंध केवल इतना नहीं है कि शिक्षित महिला को अपने अधिकारों की जानकारी अधिक होती है। वास्तविक संबंध इससे अधिक व्यापक है। शिक्षा व्यक्ति की समझ, तर्क क्षमता, सूचना तक पहुँच, सामाजिक संपर्क और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है, जबकि संवैधानिक अधिकार-चेतना उसे अपने सामाजिक स्थान, समानता, स्वतंत्रता और उपलब्ध विधिक संरक्षण को पहचानने में सहायता करती है। इसलिए दोनों के बीच संबंध को ज्ञान और व्यवहार, दोनों स्तरों पर समझना आवश्यक है।

अधिकार-चेतना के निर्माण में शिक्षा का पहला योगदान सूचना तक पहुँच को विस्तृत करना है। पढ़ने और समझने की क्षमता विकसित होने पर महिला सरकारी सूचनाओं, विधिक प्रावधानों, समाचारों, शैक्षिक सामग्री और सार्वजनिक संस्थाओं से संबंधित जानकारी तक अपेक्षाकृत आसानी से पहुँच सकती है। किंतु केवल विद्यालय में प्रवेश इस प्रक्रिया को सुनिश्चित नहीं करता। यदि आर्थिक कठिनाइयों, पारिवारिक जिम्मेदारियों या सामाजिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा बीच में रुक जाती है, तो सूचना के इन स्रोतों तक पहुँच भी सीमित हो सकती है। मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा पर किए गए अध्ययनों में आर्थिक विषमता और पारिवारिक परिस्थितियों को शिक्षा की निरंतरता में बाधा के रूप में चिह्नित किया गया है (खान, 2022, पृ. 48-67)।

शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव महिला के सामाजिक अनुभव के विस्तार में दिखाई देता है। विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थान उसे परिवार और समुदाय की सीमाओं से बाहर विभिन्न सामाजिक समूहों, विचारों और संस्थाओं से परिचित कराते हैं। इस प्रक्रिया में समानता, भेदभाव, नागरिकता, सार्वजनिक अवसर और सामाजिक न्याय जैसे प्रश्न उसकी समझ का हिस्सा बन सकते हैं। यही वह स्तर है जहाँ आधुनिक शिक्षा संवैधानिक अधिकारों को केवल कानूनी प्रावधान न रहकर सामाजिक अनुभव से जोड़ने की संभावना उत्पन्न करती है। संवैधानिक अधिकार-चेतना को केवल आधुनिक शिक्षा का परिणाम नहीं माना जा सकता। परंपरागत धार्मिक शिक्षा विवाह, मेहर, पारिवारिक दायित्व और नैतिक उत्तरदायित्व से जुड़ी समझ विकसित कर सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि इस समझ को वर्तमान संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था से जोड़ा जाए। इसी प्रकार आधुनिक शिक्षा भी तभी सार्थक है, जब वह केवल प्रमाणपत्र न देकर महिलाओं को अपने अधिकारों को समझने और पहचानने की क्षमता प्रदान करे।

शिक्षा और अधिकार-चेतना के संबंध को सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। समान स्तर की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं में भी अधिकारों की समझ समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पारिवारिक सहयोग, सामाजिक संपर्क, सूचना के साधनों तक पहुँच और व्यक्तिगत अनुभव इस समझ को प्रभावित कर सकते हैं। अतः अधिकार-चेतना शिक्षा का स्वतः उत्पन्न परिणाम न होकर शिक्षा, सामाजिक परिवेश और

उपलब्ध अवसरों की संयुक्त प्रक्रिया के रूप में विकसित होती है। यही कारण है कि शिक्षा के प्रभाव का आकलन केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि उससे विकसित होने वाली व्यावहारिक समझ और निर्णय क्षमता के आधार पर भी किया जाना चाहिए।

परंपरागत और आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में अधिकार-चेतना का तुलनात्मक विश्लेषण

मुस्लिम महिलाओं में अधिकार-चेतना का स्तर केवल इस आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता कि उन्होंने परंपरागत शिक्षा प्राप्त की है या आधुनिक शिक्षा। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षा ने उन्हें किस प्रकार का ज्ञान दिया, किन सामाजिक अनुभवों से जोड़ा और अपने जीवन से संबंधित निर्णयों को समझने की कितनी क्षमता विकसित की। इस दृष्टि से परंपरागत और आधुनिक शिक्षा दो अलग प्रकार के ज्ञान-संसार प्रस्तुत करती हैं, जिनका अधिकार-बोध पर प्रभाव भी भिन्न हो सकता है। परंपरागत शिक्षा मुस्लिम महिलाओं में धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समझ विकसित करती है। इसके माध्यम से वे विवाह, मेहर, पारिवारिक दायित्वों और नैतिक आचरण से परिचित होती हैं। किंतु आधुनिक विधिक व्यवस्था, संवैधानिक समानता और नागरिक संरक्षण की जानकारी के अभाव में यह अधिकार-बोध सीमित रह सकता है। विद्यालयी और मदरसा शिक्षा के तुलनात्मक अध्ययन में भी दोनों की विषयवस्तु और सामाजिक उद्देश्यों में अंतर पाया गया है।

आधुनिक शिक्षा अधिकार-चेतना को व्यापक सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है। विद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान महिला को संविधान, नागरिकता, सामाजिक समानता, प्रशासनिक व्यवस्था, सार्वजनिक अवसरों और संस्थागत प्रक्रियाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित करा सकते हैं। इससे महिला के लिए अधिकारों को केवल पारिवारिक या धार्मिक प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि नागरिक जीवन से जुड़े विषय के रूप में समझने की संभावना बढ़ती है। यदि शिक्षा केवल परीक्षा और प्रमाणपत्र तक सीमित हो या उसमें सामाजिक और विधिक विषयों की व्यावहारिक समझ न विकसित की जाए, तो औपचारिक रूप से शिक्षित महिला भी अपने कई अधिकारों से अनभिज्ञ रह सकती है।

दोनों शिक्षा-पद्धतियों की तुलना का एक महत्वपूर्ण आधार सूचना तक पहुँच है। आधुनिक शिक्षा पढ़ने, लिखने, प्रशासनिक सूचनाओं को समझने और विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाती है। इसके विपरीत परंपरागत शिक्षा में यदि आधुनिक सूचना-स्रोतों और नागरिक विषयों का समावेश कम हो, तो महिला की विधिक जानकारी सीमित रह सकती है। किंतु यह अंतर हर स्थिति में समान नहीं होता। सामाजिक संगठनों, परिवार, धार्मिक विद्वानों, जनसंचार माध्यमों या व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ी महिला कम औपचारिक शिक्षा के बावजूद कई अधिकारों की अच्छी समझ विकसित कर सकती है। इसी कारण सामाजिक-आर्थिक स्थिति तुलना का तीसरा महत्वपूर्ण आधार बनती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में शिक्षा की निरंतरता प्रभावित होने पर महिला के लिए उच्च शिक्षा, डिजिटल सूचना, विधिक सहायता और सार्वजनिक संस्थाओं तक पहुँच सीमित हो सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकार-चेतना का अंतर केवल शिक्षा-पद्धति का परिणाम नहीं, बल्कि अवसरों की असमानता से भी निर्मित होता है।

तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो परंपरागत शिक्षा महिला को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति समझने का आधार देती है, जबकि आधुनिक शिक्षा उसे व्यापक नागरिक और संवैधानिक व्यवस्था से परिचित कराने की अधिक संभावना रखती है। लेकिन दोनों में से कोई भी अकेले पूर्ण अधिकार-चेतना विकसित नहीं करती। धार्मिक अधिकारों की जानकारी यदि वर्तमान कानून से न जुड़ी हो तो वह अधूरी रह सकती है और संवैधानिक जानकारी यदि महिला के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन से संबंध स्थापित न करे तो उसका व्यावहारिक उपयोग सीमित हो सकता है। इसलिए

अधिक सार्थक शैक्षिक दृष्टि वह होगी जिसमें परंपरागत और आधुनिक शिक्षा के उपयोगी पक्षों को परस्पर पूरक बनाया जाए। धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा के साथ संवैधानिक मूल्यों, महिला अधिकारों, वर्तमान कानूनों, स्वास्थ्य, रोजगार और सार्वजनिक संस्थाओं की जानकारी जोड़ी जाए तो अधिकार-चेतना अधिक व्यापक रूप ले सकती है। ऐसी शिक्षा मुस्लिम महिलाओं को केवल अपने अधिकारों का ज्ञान ही नहीं देगी, बल्कि यह समझ भी विकसित करेगी कि इन अधिकारों का उपयोग सामाजिक और पारिवारिक जीवन में किस प्रकार किया जा सकता है। अतः परंपरागत और आधुनिक शिक्षा की वास्तविक तुलना श्रेष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि इस प्रश्न पर होनी चाहिए कि कौन-सी शिक्षा महिला की समझ, निर्णय क्षमता और सामाजिक भागीदारी को किस सीमा तक विस्तृत करती है। अधिकार-चेतना का सबसे मजबूत आधार वही शिक्षा बन सकती है जो पहचान और आधुनिक नागरिकता, दोनों को साथ लेकर चले।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और संवैधानिक अधिकार-चेतना के बीच संबंध महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ बहुआयामी भी है। इस संबंध को केवल शिक्षित और अशिक्षित अथवा परंपरागत और आधुनिक शिक्षा के सरल विभाजन में नहीं समझा जा सकता। शिक्षा का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह महिला को किस प्रकार का ज्ञान देती है, उसके सामाजिक अनुभवों को कितना विस्तृत करती है और अपने जीवन से संबंधित निर्णयों को समझने की कितनी क्षमता प्रदान करती है। परंपरागत शिक्षा मुस्लिम महिलाओं को धार्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक समझ का आधार देती है तथा पारिवारिक और सामुदायिक जीवन से जुड़े अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित कर सकती है। दूसरी ओर आधुनिक शिक्षा सामाजिक, नागरिक और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ने के अधिक अवसर उपलब्ध कराती है। अधिकार-चेतना के विकास में शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सहयोग और सूचना तक पहुंच भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष यह है कि मुस्लिम महिलाओं के व्यापक अधिकार-बोध के लिए परंपरागत और आधुनिक शिक्षा के बीच विरोध के बजाय समन्वय की आवश्यकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक समझ को बनाए रखते हुए संवैधानिक मूल्यों, वर्तमान कानूनों, सामाजिक अवसरों और नागरिक संस्थाओं से संबंधित जानकारी को शिक्षा का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ऐसी संतुलित शिक्षा ही महिलाओं को अपने अधिकारों को पहचानने, उन्हें व्यावहारिक जीवन से जोड़ने और अधिक आत्मविश्वास के साथ सामाजिक तथा नागरिक जीवन में भाग लेने की क्षमता प्रदान कर सकती है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग. (2019). मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या 20, 2019). नई दिल्ली: भारत सरकार।
2. भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड. (2024). भारत का संविधान [1 मई, 2024 को यथाविद्यमान]. नई दिल्ली: भारत सरकार।
3. खान, फौजिया. (2022). Socio-economic Factors Influencing the Education of Muslim Girls and Other Educationally Disadvantaged Groups of Slums in Delhi. *Journal of Indian Education*, 48(1), 48-67.

1. मुमताज, नसरीन, ठाकुर, जया एवं गजपाल, एल. एस. (2017). नगरीय परिवेश में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की स्थिति (छत्तीसगढ़ के महासमुन्द जिले के महासमुन्द नगर के विशेष संदर्भ में). *International Journal of Advances in Social Sciences*, 5(2), 76–80.
2. प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति. (2006). *Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India: A Report*. नई दिल्ली: Cabinet Secretariat, Government of India.
3. सिंह, सुनीता एवं बहादुर, जैन. (2022). विद्यालयी शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा व्यवस्था में अंतर्द्वंद्व एवं सार्थक समाधान. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*, 42(3), 99–113.
4. श्रीवास्तव, अमित कुमार. (2021). मुस्लिम महिलाओं के अधिकार: मुस्लिम वैयक्तिक विधि तथा भारतीय संविधान. *मंगलम्*, वर्ष 12(02), भाग XXIII, 99–105. ISSN 0976-8149.
5. हुसैन, असमा. (2014). मुस्लिम महिलाओं के अधिकार व स्वतंत्रता (इस्लाम की नजर से). *अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*, 2(1), जनवरी-मार्च 2014, 1–11. ISSN 2348-2605.
6. Department of Sociology, Jamia Millia Islamia. *Papers of Experts on Muslim Women and Their Contribution in Society*. New Delhi: Jamia Millia Islamia. Sponsored by National Commission for Women, New Delhi.
7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय. (2013). विभिन्न संस्कृतियों में महिलाओं का स्थान. MGPE-012 गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति (महिलाएँ और शांति), इकाई 3, खंड 3.5 “मुस्लिम समाज में महिलाएँ”. नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, पृ. 64 से आगे।
8. चव्हाण, प्रतिभा रमेश एवं चौधरी, ललित मोहन. (2019). मुस्लिम महिलाओं के शिक्षण एवं सामाजिक स्तर का अध्ययन प्रस्तुत: शिक्षा, समानता और मुस्लिम महिलाओं के समाजिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन. *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education*, 16(9), 1523–1525. ISSN 2230-7540.
9. Rahiman, Ramshin. (2023). Gender, Religion and Higher Education: Strategies of Muslim Women Students in India. *Sociological Bulletin*, 72(4), 462–475. <https://doi.org/10.1177/00380229231196728>
10. National Commission for Women. (2013–14). *Annual Report 2013–14*. New Delhi: National Commission for Women.